VII लोक ऋण प्रबंधन

केंद्र और राज्य सरकारों के ऋण प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गैर-विघटनकारी तरीके से सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम का प्रबंधन करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पूरे बकाया डेट स्टॉक पर भारित औसत कूपन में मामूली वृद्धि हुई जबकि सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल कम हो गया। प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई। दीर्घावधि के निवेशकों की मांग को पूरा करने के लिए एक 50-वर्षीय दीर्घावधिक जी-सेक लाया गया । वर्ष के दौरान सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड निर्गम भी जारी रहा।

VII.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 20 तथा 21 के अनुसार केंद्र सरकार और इस अधिनियम की धारा 21ए में किए गए प्रावधान के अनुसार द्विपक्षीय करारों के अनुसरण में 28 राज्य सरकारों तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के घरेलू ऋण का प्रबंधन करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) में की गई व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को तीन माह तक की अवधि के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) के रूप में अल्पावधिक ऋण प्रदान किया जाता है, ताकि उनके नकदी प्रवाह में अस्थायी असंतुलन को कम किया जा सके।

VII.2 वर्ष 2023-24 में, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत) पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बाज़ार उधार उनकी वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि के कारण अधिक रहा। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और तंग घरेलू वित्तीय स्थितियों के बावजूद, रिज़र्व बैंक ने लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास के तीन व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को गैर-विघटनकारी तरीके से पूर्ण करना सुनिश्चित किया। वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के लिए बाजार उधार का भारित औसत प्रतिफल 8 आधार अंक (बीपीएस) कम हो गया। रोलओवर जोखिम को कम करने के लिए बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रोफ़ाइल को बढ़ाया गया। रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से वर्ष 2023-24 के दौरान ₹20,000 करोड़ की कुल राशि के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (एसजीआरबी) जारी किए।

VII.3 शेष अध्याय को तीन खंडों में बांटा गया है। खंड 2 केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए ऋण प्रबंधन के क्षेत्रों में वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 की कार्यसूची के संबंध में कार्यान्वयन की स्थिति प्रस्तुत करता है। खंड 3 में वर्ष 2024-25 में की जाने वाली प्रमुख पहलों को शामिल किया गया है, और अंतिम खंड में सारांश दिया गया है।

2. वर्ष 2023-24 के लिए कार्यसूची

VII.4 विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने और नए निर्गमों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन (पैराग्राफ VII.5- VII.6);

- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' के तहत खुदरा निवेशकों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास (पैराग्राफ VII.7);
- 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' के बारे में खुदरा निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए उचित उपाय करना (पैराग्राफ VII.7);
- विदेशी केंद्रीय बैंकों (एफसीबी) के लेनदेन के लिए विश्वव्यापी अंतर बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी (स्विफ्ट) मॉड्यूल का कार्यान्वयन [पैराग्राफ VII.8];
- आरबीआई के डेटा वेयरहाउस सिस्टम में सरकारी ऋण सांख्यिकी के कवरेज का विस्तार (पैराग्राफ VII.9); और
- नकदी और ऋण प्रबंधन में विवेकपूर्ण प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का संचालन (पैराग्राफ VII.10)।

कार्यान्वयन की स्थिति

VII.5 रिज़र्व बैंक ने ₹25.5 लाख करोड़ की केंद्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त सकल बाजार उधारी को सफलतापूर्वक पूर्ण किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक रही। रिज़र्व बैंक ने पुनर्निर्गम के माध्यम से परोक्ष (पैसिव) समेकन और स्विच के माध्यम से प्रत्यक्ष (एक्टिव) समेकन की अपनी नीति जारी रखी। वर्ष 2023-24 के दौरान, जी-सेक के 149 निर्गमों में से 135 पुनर्निर्गम हुए (90.6 प्रतिशत), जबकि पिछले वर्ष में 177 निर्गमों में से 161 पुनर्निर्गम (91 प्रतिशत) थे। दीर्घावधिक सरकारी प्रतिभूतियों के साथ निकट अवधि में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों के स्विचिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष ऋण समेकन आम तौर पर महीने में एक बार आयोजित किया गया। तदनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान ₹1 लाख करोड़ की बजटीय राशि के मुकाबले ₹1.03 लाख करोड़ की राशि के स्विच हुए।

VII.6 वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न परिपक्वता अवधियों की प्रतिभूतियों की इच्छा रखने वाले निवेशकों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से 3 से 50 वर्ष की अवधि (मूल परिपक्वता) तक की प्रतिभूतियां जारी की गईं। वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के दौरान सरकारी बाजार उधार कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक नई 3-वर्षीय बेंचमार्क प्रतिभूतियों की शुरुआत की गई। अत्यधिक लंबी अवधि की दीर्घावधिक प्रतिभूतियों की बाजार की मांग की प्रतिक्रिया में वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 50-वर्ष की परिपक्वता की एक और दिनांकित प्रतिभूति की शुरुआत की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान एसजीआरबी का कुल निर्गम ₹20,000 करोड़ था, जिसमें 30-वर्षीय एसजीआरबी के पहले निर्गम (₹10,000 करोड़) के अलावा 5-वर्षीय (₹5,000 करोड़) और 10-वर्षीय (₹5,000 करोड़) अवधि के निर्गम शामिल थे।

VII.7 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल में खुदरा निवेशकों के लिए पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन का विकास अंतिम चरण में है और इसके वर्ष 2024-25 के आरंभ में शुरू होने की उम्मीद है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना' की समग्र पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से अपने प्रयास जारी रखे। पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए, विभिन्न तकनीकी उन्नयन किए गए हैं। 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत उत्पादों की शृंखला को अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफआरएसबी), 2020 को शामिल करने के लिए भी विस्तारित किया गया है। पोर्टल पर राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) भुगतान की व्यवस्था भी की गई है, जिससे निवेशक एक बार पंजीकृत कर सकते हैं और प्राथमिक नीलामी के तहत आने वाली निधियन बोलियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।

VII.8 विभाग एफसीबी द्वारा रुपया निवेश की योजना के तहत एफसीबी और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (एमएफएल) की ओर से निवेश करता है। स्विफ्ट मॉड्यूल की शुरुआत कर दी गई है जो योजना के तहत किए गए लेनदेन से संबंधित बैक-ऑफिस गतिविधियों के लिए स्विफ्ट नेटवर्क के उपयोग को संदेश भेजने में सक्षम बनाता है।

VII.9 सरकारी ऋण के आंकड़े रिज़र्व बैंक की वेबसाइट और डेटा वेयरहाउस सिस्टम के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, समय शृंखला की सूचना रिज़र्व बैंक के नेक्स्ट-जेनरेशन डेटा वेयरहाउस सिस्टम, यानी, केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) में स्थानांतरित कर दी गई।

VII.10 कुछ राज्यों में विवेकपूर्ण नकदी और ऋण प्रबंधन प्रथाओं के बारे में राज्य सरकारों को जागरूक बनाने के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए। इसके अलावा, दिसंबर 2023 में रिज़र्व बैंक के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में नकदी और ऋण प्रबंधन पर दो दिवसीय सीबीपी आयोजित किया गया, जिसमें 11 राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की भागीदारी देखी गई।

प्रमुख घटनाक्रम

केंद्र सरकार का ऋण प्रबंधन

VII.11 वर्ष 2023-24 के दौरान, दिनांकित जी-सेक के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) का सकल और निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत अधिक रहा। दिनांकित प्रतिभूति और टी-बिल दोनों माध्यमों को मिलाकर कुल निवल बाजार उधार पिछले वर्ष की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक था (सारणी VII.1)।

ऋण प्रबंधन परिचालन

VII.12 वर्ष के दौरान जारी सरकारी प्रतिभूतियों का भारित औसत प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष की तुलना में 8 आधार कम हो गया, जबकि संपूर्ण ऋण स्टॉक पर भारित औसत कूपन 3 आधार अंक बढ़ गया। मार्च 2024 के अंत में प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) और बकाया ऋण पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ गया (सारणी VII.2)।

VII.13 आठ अवसरों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान प्राथमिक डीलरों (पीडी) को कोई हस्तांतरण नहीं हुआ, जो वर्ष 2022-23 में ₹23,053 करोड़ था। पिछले वर्ष ऐसे चार अवसर रहे जिसमें बोलियाँ स्वीकार नहीं की गईं, जिसकी कुल

सारणी VII.1: केंद्र सरकार के बाजार उधार

(₹ करोड़)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाज़ार उधार	13,70,324 (6.90)	11,27,382 (4.78)	14,21,000 (5.27)	15,43,000 (5.25)
निवल बाज़ार उधार (i से iv)	13,75,654 (6.93)	9,29,351 (3.94)	11,74,375 (4.36)	12,28,805 (4.18)
i) दिनांकित प्रतिभूतियाँ@	11,43,114	8,63,103	11,08,261	11,80,456
ii) 91-दिवसीय टी-बिल	10,713	45,439	-23,798	20,164
iii) 182-दिवसीय टी-बिल	-18,743	71,252	52,426	15,982
iv) 364- दिवसीय टी-बिल	2,40,570	-50,444	37,487	12,203

@: वापसी-खरीद/स्विच को समायोजित किए बिना। स्विच के समायोजन के बाद, वर्ष 2023-24 के दौरान निवल बाज़ार उधार ₹12,26,101 करोड़, वर्ष 2022-23 में ₹11,71,951 करोड़, वर्ष 2021-22 में ₹9,29,060 करोड़ और वर्ष 2020-21 में ₹11,46,739 करोड़ रहा।
टिप्पणी: कोष्ठक के आंकड़े जीडीपी के प्रतिशत हैं।
स्रोत: आरबीआई और एमओएसपीआई।

सारणी VII.2: केंद्र सरकार के बाजार ऋण - एक रूपरेखा*

(प्रतिफल प्रतिशत में/परिपक्वता वर्षों में)

वर्ष	प्राथमिक निर्गमों में प्रतिफल की अंतिम सीमा			वर्ष के दौरान जारी^			बकाया स्टॉक#	
	5 वर्ष से कम	5-10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	भारित औसत प्रतिफल	परिपक्वता की सीमा@	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत परिपक्वता	भारित औसत कूपन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017-18	7.23-7.27	6.42-7.48	6.68-7.67	6.97	5-38	14.13	10.62	7.76
2018-19	6.56-8.12	6.84-8.28	7.26-8.41	7.77	1-37	14.73	10.40	7.81
2019-20	5.56-7.38	6.18-7.44	5.96-7.77	6.85	1-40	16.15	10.72	7.71
2020-21	3.79-5.87	5.15-6.53	4.46-7.19	5.79	1-40	14.49	11.31	7.27
2021-22	4.07-5.10	4.04-6.78	4.44-7.44	6.28	1-40	16.99	11.71	7.11
2022-23	5.43-7.45	5.21-7.52	5.65-7.90	7.32	1-40	16.05	11.94	7.26
2023-24	6.89-7.39	6.98-7.40	7.07-7.57	7.24	3-50	18.09	12.54	7.29

@: निर्गम की अवशिष्ट परिपक्वता और आंकड़ों का पूर्णांकन किया गया है।
*: विशेष प्रतिभूतियों को छोड़कर। ^: स्विच नीलामी को छोड़कर। #: स्विच नीलामी सहित।
स्रोत: आरबीआई।

अधिसूचित राशि ₹16,000 करोड़ रही, लेकिन वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसा एक बार भी नहीं हुआ।

VII.14 वर्ष के दौरान जी-सेक प्रतिफल में कमी, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति के दबाव में कमी, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति सख्ती चक्र के संभावित सकारात्मक अंत की उम्मीद और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह में वृद्धि के कारण हुई। अपरिवर्तित रेपो दर और मार्च और अप्रैल के लिए अपेक्षा से कम घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आंकड़ों के कारण अप्रैल और मई में प्रतिफल में तेजी से गिरावट आई। हालांकि जून में 10-वर्षीय प्रतिफल में थोड़ी सी वृद्धि हुई, कुल मिलाकर, यह पहली तिमाही में 21 आधार अंक कम होकर जून 2023 के अंत में 7.10 प्रतिशत पर आ गया। वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के दौरान, अमेरिकी खज़ाना प्रतिफल, कच्चे तेल की उच्च कीमतों, और जुलाई के लिए अपेक्षा से अधिक घरेलू सीपीआई आंकड़ों को देखते हुए प्रतिफल में बढ़ोतरी हुई। 10-वर्षीय प्रतिफल दूसरी तिमाही में 12 आधार अंक तक बढ़कर सितंबर 2023 के अंत में 7.22 प्रतिशत तक पहुँच गया। वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में, प्रतिफल में शुरुआत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, अक्टूबर और नवंबर के लिए अपेक्षा से कम घरेलू सीपीआई आंकड़े और एक प्रमुख वैश्विक उभरते बाजार सूचकांक में भारत सरकार के बॉण्ड (आईजीबी) के संभावित समावेश से संबंधित सूचना के कारण कमी आ गई। दिसंबर 2023 के अंत में 10-वर्षीय प्रतिफल तीसरी तिमाही में 2 आधार अंक घटकर 7.20 प्रतिशत रहा। अपेक्षा से कम सीपीआई और बाजार उधार में कमी और वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय राजकोषीय घाटे के कारण वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान प्रतिफल में और गिरावट आई। 10-वर्षीय प्रतिफल चौथी तिमाही में 13 आधार अंक कम होकर 28 मार्च 2024 को 7.07 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट VII.1)।

चार्ट VII.1: एफ़बीआईएल अर्ध-वार्षिक समतुल्य प्रतिफल वक्र

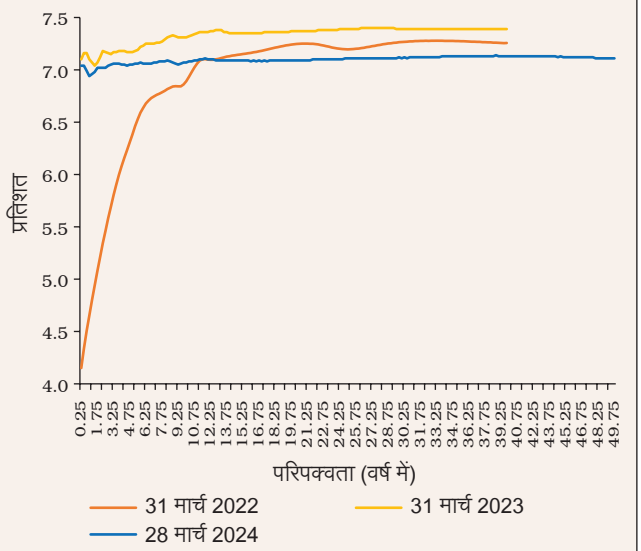

स्रोत : एफ़बीआईएल।

सारणी VII.3: भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों का निर्गम - परिपक्वता स्वरूप

(राशि ₹ करोड़ में)

अवशिष्ट परिपक्वता	2021-22		2022-23		2023-24	
	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत	जुटाई गई राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
5 वर्षों से कम	2.3	20.3	2.7	19.0	2.5	16.5
5 - 9.99 वर्ष	2.4	21.5	4.6	32.1	4.8	31.4
10-14.99 वर्ष	3.2	28.4	2.9	20.1	2.8	17.8
15 वर्ष और अधिक	3.4	29.8	4.1	28.8	5.3	34.3
कुल	**11.3**	**100.0**	**14.2**	**100.0**	**15.4**	**100.0**

टिप्पणी: संख्याओं का पूर्णांकन करने के कारण कॉलम में दिए गए आंकड़े कुल योग के बराबर नहीं हो सकते हैं।
स्रोत : आरबीआई।

VII.15 वर्ष 2023-24 के दौरान, बाजार उधार का लगभग 52.1 प्रतिशत 10 वर्षीय और उससे अधिक परिपक्वता वाली दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से जुटाया गया, जबकि पिछले वर्ष में यह 48.9 प्रतिशत था (सारणी VII.3)।

खज़ाना बिल

VII.16 केंद्र सरकार की अल्पकालिक नकदी आवश्यकताओं को टी-बिल जारी करने के माध्यम से पूरा किया जाता है। टी-बिल (91, 182 और 364 दिवसीय) के माध्यम से सरकार की निवल अल्पकालिक बाजार उधारी वर्ष 2023-24 के दौरान घटकर ₹48,349 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष में ₹66,114 करोड़ थी।

प्रतिभूतियों का स्वामित्व

VII.17 मार्च 2024 के अंत तक वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों [टी-बिल और राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) सहित] के सबसे बड़े धारक बने रहे, जिनकी हिस्सेदारी 37.6 प्रतिशत थी, इसके बाद बीमा कंपनियां (25.0 प्रतिशत), भविष्य निधि (10.1 प्रतिशत) और रिज़र्व बैंक (7.9 प्रतिशत) रहे। एफपीआई की हिस्सेदारी 1.5 फीसदी रही। सरकारी प्रतिभूतियों (टी-बिल और एसजीएस सहित) के अन्य धारकों में म्यूचुअल फंड, राज्य सरकारें, वित्तीय संस्थान और कॉरपोरेट शामिल हैं।

प्राथमिक व्यापारी (पीडी)

VII.18 पीडी की संख्या 21 रही [14 बैंक-पीडी और 7 एकल पीडी (एसपीडी)]। पीडी को टी-बिल/नकद प्रबंधन बिल (सीएमबी) की प्राथमिक नीलामी के संबंध में बोली प्रतिबद्धता और सफलता अनुपात प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ दिनांकित जी-सेक की प्राथमिक नीलामी की हामीदारी करने का अधिकार है। पीडी ने वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में 59.3 प्रतिशत और वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 62.2 प्रतिशत का औसत सफलता अनुपात हासिल किया। वर्ष 2023-24 के दौरान टी-बिल की नीलामी में पीडी की हिस्सेदारी 69.4 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष यह 68.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामी की हामीदारी के लिए जीएसटी सहित पीडी को भुगतान किया गया कमीशन वर्ष 2022-23 के दौरान ₹107.5 करोड़ की तुलना में ₹48.5 करोड़ रहा।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) योजना

VII.19 रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से, वर्ष 2023-24 के दौरान जारी किए जाने वाले एसजीबी की चार किश्तों वाले एक कैलेंडर की घोषणा की। वर्ष 2023-24 के दौरान जुटाई गई कुल राशि ₹27,031 करोड़ (44.34 टन) थी। नवंबर 2015 में एसजीबी योजना की शुरुआत के बाद से, 67 किश्तों के माध्यम से कुल ₹ 72,274 करोड़ (146.96 टन) जुटाए गए।

अस्थायी दर बचत बॉण्ड, 2020 (कर योग्य) योजना

VII.20 वर्ष के दौरान, अस्थायी दर बचत बॉण्ड (एफ़आरएसबी), 2020 (कर योग्य) जारी करने के माध्यम से ₹7,063 करोड़ जुटाए गए। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने की

दिशा में अपने निरंतर प्रयासों के तहत, रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार के परामर्श से रिज़र्व बैंक के 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के माध्यम से एफआरएसबी, 2020 (कर योग्य) की सदस्यता को भी सक्षम किया है।

केंद्र सरकार का नकद प्रबंधन

VII.21 केंद्र सरकार की डब्ल्यूएमए सीमा वर्ष 2023-24 की पहली और दूसरी छमाही के लिए क्रमशः ₹1.5 लाख करोड़ और ₹0.5 लाख करोड़ तय की गई। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष के 9 दिनों की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान 24 दिनों के लिए डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट (ओडी) का उपयोग किया। वर्ष के अधिकांश दिनों के दौरान केंद्र सरकार का नकदी शेष अधिशेष में रहा (चार्ट VII.2)।

विदेशी केंद्रीय बैंक (एफसीबी) योजना के तहत निवेश

VII.22 एफसीबी योजना के तहत, रिज़र्व बैंक द्वारा द्वितीयक जी-सेक बाजार में चुनिंदा एफसीबी और बहुपक्षीय विकास संस्थानों की ओर से भारतीय जी-सेक में निवेश किया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान इन संस्थानों की ओर से लेन-देन की कुल मात्रा ₹920 करोड़ (अंकित मूल्य) रही, जबकि पिछले वर्ष में यह ₹4,805 करोड़ (अंकित मूल्य) थी।

चार्ट VII.2: भारत सरकार की नकद शेष स्थिति

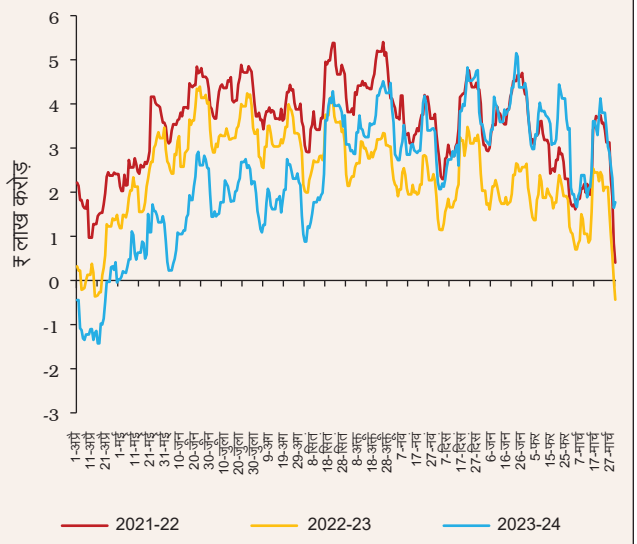

स्रोत: आरबीआई।

राज्य सरकारों का ऋण प्रबंधन

VII.23 अधिकांश राज्यों को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) वित्तपोषण सुविधा से बाहर करने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, पिछले कुछ वर्षों में राज्यों की बाजार उधारी बढ़ रही है। राज्यों की सकल राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार उधार की हिस्सेदारी वर्ष 2022-23 (आरई) में 72.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 (बीई) में 76.1 प्रतिशत हो गई।

VII.24 वर्ष 2023-24 में राज्यों की सकल बाजार उधारी राज्य सरकारों द्वारा बाजार उधारी के लिए तिमाही सांकेतिक कैलेंडर में इंगित राशि का 93 प्रतिशत रही। वर्ष 2023-24 में 782 निर्गम हुए, जिनमें से 49 पुनर्निर्गम थे (वर्ष 2022-23 में 605 निर्गम हुए, जिनमें से 45 पुनर्निर्गम थे) [सारणी VII.4]।

VII.25 वर्ष 2023-24 के दौरान एसजीएस निर्गम का भारित औसत उच्चतम प्रतिफल (डबल्यूएवाई) पिछले वर्ष के 7.71 प्रतिशत की तुलना में कम होकर 7.52 प्रतिशत रहा। केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों का भारित औसत स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 31 आधार अंक रहा जो पिछले वर्ष के समान है। वर्ष 2023-24 में 23 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों ने 10 वर्ष के अलावा 2 से 40 वर्ष तक की अवधि की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं। 10-वर्षीय अवधि (नए निर्गम) की प्रतिभूतियों पर औसत अंतर-राज्य स्प्रेड वर्ष 2023-24 में 3 आधार अंक था, जो वर्ष 2022-23 के समान था।

VII.26 वर्ष 2023-24 के दौरान, 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) का लाभ उठाया, 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने डब्ल्यूएमए का सहारा लिया और 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ओडी का लाभ उठाया।

VII.27 आकस्मिक देयताओं से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 7 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों के 32वें सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार की गारंटी पर एक कार्य दल के गठन का निर्णय लिया गया, जिसमें वित्त मंत्रालय,

सारणी VII.4: एसजीएस के माध्यम से राज्यों का बाजार उधार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	2	3	4	5
वर्ष के दौरान परिपक्वता	1.5	2.1	2.4	2.9
अनुच्छेद 293(3) के तहत सकल संस्वीकृती	9.7	9.0	8.8	11.3
वर्ष के दौरान जुटाई गई सकल राशि	8.0	7.0	7.6	10.1
वर्ष के दौरान जुटाई गई निवल राशि	6.5	4.9	5.2	7.2
कुल संस्वीकृती की तुलना में वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि (प्रतिशत)	82.4	78.4	86.1	89.2
बकाया देयताएं (अवधि के अंत में) #	39.3	44.3	49.3	56.4

#: उज्ज्वल डिस्कॉम्स एश्योरेंस *योजना* (उदय) और अन्य विशेष प्रतिभूतियों सहित।
स्रोत : आरबीआई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य सरकारों से सदस्य शामिल होने थे। कार्य दल ने 16 सितंबर 2023 को अपनी अंतिम रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को सौंप दी (बॉक्स VII.1)।

VII.28 मध्यवर्ती खज़ाना बिल (आईटीबी) और नीलामी खज़ाना बिल (एटीबी) में राज्यों का बकाया निवेश वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़ गया (सारणी VII.5)।

बॉक्स VII.1
राज्य सरकार की गारंटियों पर कार्य दल

गारंटी किसी अप्रत्याशित भविष्य की घटना के मामले में एक आकस्मिक संभावित देयता है। यदि इस प्रकार की देयताएं पर्याप्त बफर के बिना निर्धारित की जाती हैं, तो इससे राज्य सरकार के लिए व्यय, राजकोषीय घाटे और ऋण के स्तर में वृद्धि हो सकती है। यदि लागू की गई गारंटी नहीं मानी जाती है, तो इससे गारंटीकर्ता के लिए प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम और कानूनी खर्च हो सकता है। इससे जुड़ी चिंता गारंटी द्वारा समर्थित सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं की बैंक से वित्त में वृद्धि है। इसलिए, गारंटी जारी करते समय आकलन और निगरानी करना और विवेकपूर्ण होना महत्वपूर्ण है, खासकर जब ऐसी गारंटी राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है।

कार्यदल की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

ए) सशर्त/बिना शर्त, वित्तीय/प्रदर्शन गारंटी के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए;

बी) 'गारंटी' शब्द का उपयोग व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए और इसमें ऐसे लिखत शामिल हो सकते हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, यदि ये राज्य सरकार पर दायित्व बनाते हैं;

सी) सरकारी गारंटी का उपयोग राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से वित्त प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जो राज्य सरकार के बजटीय संसाधनों का विकल्प है;

डी) राज्यों को परियोजनाओं/गतिविधियों को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए और उनके लिए गारंटी उपलब्ध करने से पहले उचित जोखिम भार निर्दिष्ट करना चाहिए;

ई) एक वर्ष के दौरान जारी की जाने वाली वृद्धिशील गारंटी के लिए राजस्व प्राप्तियों का 5 प्रतिशत या सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 प्रतिशत, जो भी कम हो, की सीमा होनी चाहिए। राज्यों को परंपरागत रूप से जोखिम भार की न्यूनतम सीमा 100 प्रतिशत रखना चाहिए;

एफ़) न्यूनतम 0.25 प्रतिशत प्रति वर्ष को आधार या न्यूनतम गारंटी शुल्क माना जा सकता है और राज्य सरकार द्वारा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम, जारी की गई प्रत्येक जोखिम श्रेणी पर लिया जा सकता है;

जी) राज्यों को गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) के निर्माण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि में अपनी कुल बकाया गारंटी के पांच प्रतिशत का बफर बनाना चाहिए;

एच) उधार लेने वाले राज्य उद्यमों को राज्य सरकार की गारंटी का सहारा लेने से पहले पुनर्भुगतान के लिए परियोजना आय से आवधिक योगदान के साथ निलंब खाते की व्यवस्था करनी चाहिए; और

आई) राज्यों को भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएएस) के अनुसार गारंटी से संबंधित डेटा को प्रकाशित/प्रकट करना चाहिए।

स्रोत: आरबीआई।

सारणी VII.5: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश

(₹ करोड़)

मद	31 मार्च को बकाया				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
14-दिवसीय (आईटीबी)	1,54,757	2,05,230	2,16,272	2,12,758	2,66,805
एटीबी	33,504	41,293	87,400	58,913	51,258
कुल	**1,88,261**	**2,46,523**	**3,03,672**	**2,71,671**	**3,18,063**

स्रोत : आरबीआई।

समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/जीआरएफ में निवेश

VII.29 रिज़र्व बैंक राज्यों की ओर से दो आरक्षित निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है - सीएसएफ और जीआरएफ। वर्तमान में, 24 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश ने सीएसएफ की स्थापना की है जबकि 20 राज्य जीआरएफ के सदस्य हैं। मार्च 2024 के अंत में सीएसएफ और जीआरएफ में सदस्य राज्यों द्वारा बकाया निवेश क्रमशः ₹2,06,441 करोड़ और ₹12,259 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2023 के अंत में क्रमश: ₹1,84,029 करोड़ और ₹10,839 करोड़ था।

3. वर्ष 2024-25 के लिए कार्यसूची

VII.30 वर्ष 2024-25 के दौरान, ऋण प्रबंधन के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ बाजार उधार कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है:

- जी-सेक बाजार में चलनिधि बढ़ाने के लिए प्रतिभूतियों के पुनर्निर्गम के साथ-साथ कैलेंडर संचालित, नीलामी-आधारित स्विच परिचालन के माध्यम से ऋण का समेकन;
- डिपॉजिटरी द्वारा निर्बाध तरीके से सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य मुक्त हस्तांतरण (वीएफटी) की सुविधा के लिए एक एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) का विकास;
- अस्थायी दर बचत बॉण्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड योजना के लिए परिचालन दिशानिर्देशों की समीक्षा; और
- अतिरिक्त भुगतान विकल्प प्रदान करके आरबीआई 'रिटेल डायरेक्ट' पोर्टल के यूजर इंटरफेस को और बेहतर बनाना।

4. निष्कर्ष

VII.31 वर्ष के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और भू-राजनीतिक दबाव से उत्पन्न चुनौतियों के बीच केंद्र और राज्य सरकारों की बाजार उधारी सफलतापूर्वक संचालित की गई। सरकार के बजटीय राजकोषीय घाटे के आकार और उभरती बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-25 के लिए बाजार उधार कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से शुरू किया जाएगा। रिज़र्व बैंक एक स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित करते हुए ऋण प्रबंधन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर बाजार उधार कार्यक्रम का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना जारी रखेगा।